"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी [illegible] 22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक [illegible] 5 2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 262] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 8 सितम्बर 2011—भाद्र 17, शक 1933

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ-6-292/सात-3/2011.—छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 13 की उप-धारा (2) के परंतुक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जिला बस्तर की सीमाओं में परिवर्तन करते हुए नवीन जिले कोण्डागांव का सृजन करने, जिला दुर्ग की सीमाओं में परिवर्तन करते हुए नवीन जिले बेमेतरा तथा बालोद का सृजन करने, जिला रायपुर की सीमाओं में परिवर्तन करते हुए नवीन जिले बलौदाबाजार तथा गरियाबंद का सृजन करने, जिला बिलासपुर की सीमाओं में परिवर्तन करते हुए नवीन जिले मुंगेली का सृजन करने, जिला सरगुजा की सीमाओं में परिवर्तन करते हुए नवीन जिले सूरजपुर तथा बलरामपुर का सृजन करने, जिला दन्तेवाड़ा की सीमाओं में परिवर्तन करते हुए नवीन जिले सुकमा का सृजन करने का तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करने का प्रस्ताव करती है.

इस प्रस्ताव पर "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से साठ दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव लिखित रूप में प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर को वर्तमान में कार्यरत कलेक्टर के माध्यम से उक्त कालावधि के अवसान होने के पूर्व प्रेषित किये जा सकेंगे :—

अनुसूची

जिला (1)	परिवर्तन का स्वरूप (2)	सीमाएं (3)
1. कोण्डागांव	बस्तर जिले की 1. केशकाल, 2. बड़ेराजपुर, 3. माकड़ी, 4. कोण्डागांव तथा 5. फरसगांव तहसीलों को समाविष्ट करते हुए नवीन जिले का सृजन.	उत्तर में - उत्तर बस्तर कांकेर तथा धमतरी जिला दक्षिण में - बस्तर तथा बीजापुर जिला पूर्व में - उड़ीसा राज्य पश्चिम में - बीजापुर जिला तथा आंध्रप्रदेश राज्य

(1)	(2)	(3)
2. बेमेतरा	दुर्ग जिले की 1. नवागढ़, 2. बेमेतरा, 3. बेरला, 4. साजा तथा 5. थानखम्हरिया तहसीलों को समाविष्ट करते हुए नवीन जिले का सृजन.	उत्तर में - बिलासपुर जिला दक्षिण में - दुर्ग जिला पूर्व में - रायपुर जिला पश्चिम में - राजनांदगांव तथा कबीरधाम जिला
3. बालोद	दुर्ग जिले की 1. डौण्डी, 2. डौण्डीलोहारा, 3. गुरूर, 4. बालोद तथा 5. गुण्डरदेही तहसीलों को समाविष्ट करते हुए नवीन जिले का सृजन.	उत्तर में - दुर्ग जिला दक्षिण में - उत्तर बस्तर कांकेर जिला पूर्व में - धमतरी जिला पश्चिम में - राजनांदगांव जिला
4. बलौदाबाजार	रायपुर जिले की 1. बिलाईगढ़, 2. कसडोल, 3. बलौदाबाजार, 4. पलारी, 5. भाटापारा तथा 6. सिमगा तहसीलों को समाविष्ट करते हुए नवीन जिले का सृजन.	उत्तर में - बिलासपुर तथा जांजगीर-चांपा जिला दक्षिण में - रायपुर तथा महासमुंद जिला पूर्व में - रायगढ़ जिला पश्चिम में - दुर्ग जिला
5. गरियाबंद	रायपुर जिले की 1. फिंगेश्वर, 2. छुरा, 3. गरियाबंद, 4. मैनपुर तथा 5. देवभोग तहसीलों को समाविष्ट करते हुए नवीन जिले का सृजन.	उत्तर में - महासमुंद तथा रायपुर जिला दक्षिण में - उड़ीसा राज्य पूर्व में - उड़ीसा राज्य पश्चिम में - धमतरी जिला
6. मुंगेली	बिलासपुर जिले की 1. मुंगेली, 2. पथरिया तथा 3. लोरमी तहसीलों को समाविष्ट करते हुए नवीन जिले का सृजन.	उत्तर में - मध्यप्रदेश राज्य दक्षिण में - दुर्ग जिला पूर्व में - बिलासपुर जिला पश्चिम में - कबीरधाम जिला
7. सूरजपुर	सरगुजा जिले की 1. सूरजपुर, 2. भैयाथान, 3. ओड़गी, 4. रामानुजनगर, 5. प्रेमनगर तथा 6. प्रतापपुर तहसीलों को समाविष्ट करते हुए नवीन जिले का सृजन.	उत्तर में - उत्तरप्रदेश राज्य तथा सरगुजा जिला दक्षिण में - कोरबा जिला पूर्व में - सरगुजा जिला पश्चिम में - कोरिया जिला
8. बलरामपुर	सरगुजा जिले की 1. बलरामपुर, 2. रामचन्द्रपुर (रामानुजगंज), 3. वाड्रफनगर, 4. राजपुर, 5. कुसमी तथा 6. शंकरगढ़ तहसीलों को समाविष्ट करते हुए नवीन जिले का सृजन.	उत्तर में - उत्तरप्रदेश राज्य तथा झारखण्ड राज्य दक्षिण में - सरगुजा तथा जशपुर जिला पूर्व में - झारखण्ड राज्य पश्चिम में - सरगुजा जिला.
9. सुकमा	दन्तेवाड़ा जिले की 1. छिंदगढ़, 2. सुकमा तथा 3. कोण्टा तहसीलों को समाविष्ट करते हुए नवीन जिले का सृजन.	उत्तर में - दक्षिण बस्तर.दन्तेवाड़ा तथा बस्तर जिला दक्षिण में - आंध्रप्रदेश राज्य पूर्व में - उड़ीसा राज्य पश्चिम में - बीजापुर जिला तथा आंध्रप्रदेश राज्य.

Raipur, the 8th September 2011

NOTIFICATION

No. F-6-292/Seven-3/2011.—In pursuance of the provisions contained in the proviso to sub-section (2) of Section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), notice is hereby given that in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the said Section, the State Government proposes to alter the limits of district

Bastar to create a new district Kondagaon, alter the limits of district Durg to create a new district Bemetara and Balod, alter the limits of district Raipur to create a new district Baloda Bazar and Gariyaband, alter the limits of district Bilaspur to create a new district Mungeli, alter the limits of district Surguja to create a new district Surajpur and Balrampur, alter the limits of district Dantewada to create a new district Sukma and to define the limits thereof as specified in the Schedule below.

The proposal will be taken into consideration on the expiry of sixty days from the date of publication of this notice in the "Chhattisgarh Gazette" and any objections or suggestions in respect thereof may be forwarded, in writing to the Principal Secretary, Government of Chhattisgarh, Revenue Department, Mantralaya, Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur via at present working Collector before the expiry of the said period :—

SCHEDULE

District (1)	Nature of Change (2)	Boundaries (3)
1. Kondagaon	Creation of new district by inclusion of whole Tahsils 1. Keshkal, 2. Baderajpur, 3. Makdi, 4. Kondagaon and 5. Pharsgaon of District Bastar.	NORTH- North Bastar Kanker and Dhamtari District. SOUTH- Bastar and Bijapur District EAST - Orissa State WEST - Bijapur District and Andhrapradesh State.
2. Bemetara	Creation of new district by inclusion of whole Tahsils 1. Nawagarh, 2. Bemetara, 3. Berla, 4. Saja and 5. Thankhamariya of District Durg.	NORTH- Bilaspur District SOUTH- Durg District EAST - Raipur District WEST - Rajnandgaon and Kabirdham District
3. Balod	Creation of new district by inclusion of whole Tahsils 1. Daundi, 2. Dondilohara, 3. Gurur, 4. Balod and 5. Gundardehi of District Durg.	NORTH- Durg District SOUTH- North Bastar Kanker District EAST - Dhamtari District WEST - Rajnandgaon District
4. Baloda Bazar	Creation of new district by inclusion of whole Tahsils 1. Bilaigarh, 2. Kasdol, 3. Baloda Bazar, 4. Palari, 5. Bhatapara and 6. Simga of District Raipur.	NORTH- Bilaspur and Janjgir-Champa District SOUTH- Raipur and Mahasamund District EAST - Raigarh District WEST - Durg District
5. Gariyaband	Creation of new district by inclusion of whole Tahsils 1. Phingeshwar, 2. Chhura, 3. Gariyaband, 4. Mainpur and 5. Devbhog of District Raipur.	NORTH- Mahasamund and Raipur District SOUTH- Orissa State EAST - Orissa State WEST - Dhamtari District
6. Mungeli	Creation of new district by inclusion of whole Tahsils 1. Mungeli, 2. Pathariya and 3. Lormi of District Bilaspur.	NORTH- Madhyapradesh State SOUTH- Durg District EAST - Bilaspur District WEST - Kabirdham District
7. Surajpur	Creation of new district by inclusion of whole Tahsils 1. Surajpur, 2. Bhaiyathan, 3. Odgi, 4. Ramanujnagar, 5. Premnagar and 6. Pratappur of District Surguja.	NORTH- Uttarpradesh State and Surguja District. SOUTH- Korba District EAST - Surguja District WEST - Korea District
8. Balrampur	Creation of new district by inclusion of whole Tahsils 1. Balrampur, 2. Ramchandarpur (Ramanujganj), 3. Wadrafnagar, 4. Rajpur, 5. Kusmi and 6. Shankargarh of District Surguja.	NORTH- Uttarpradesh State and Jhharkhand State. SOUTH- Surguja and Jashpur District EAST - Jhharkhand State WEST - Surguja District.

(1)	(2)	(3)
9. Sukma	Creation of new district by inclusion of whole Tahsils 1. Chhindgarh, 2. Sukma and 3. Konta of District Dantewada.	NORTH- South Bastar Dantewada and Bastar District. SOUTH- Andhrapradesh State EAST - Orissa State WEST - Bijapur District and Andhrapradesh State.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय अलंग, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.